संख्या-09/2022/आई/173762/2022/फा0नं0-10-22099/190/2020-22

प्रेषक,

नील रतन कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2-समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3-निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 03 जून, 2022

विषय- दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड पे रू0 8700/- के लिए मैट्रिक्स लेवल-13 में संशोधन के फलस्वरूप पेंशन का पुनर्निर्धारण विषयक शासनादेश दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 का स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-15/2021/आई/108536/2021-फा0नं0-10-19099/143/2021-22, दिनांक 22 अक्टूबर, 2021 सपठित कार्यालय-ज्ञाप/शुद्धि-पत्र संख्या-18/2021/आई/111800/2021-फा0नं0-10-19099/143/2021-22, दिनांक 03 नवम्बर, 2021 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4-6/2017-आई-सी/ई-।।। (ए), दिनांक 28.09.2017 के अनुसरण में यह आदेश निर्गत किए गए हैं कि ग्रेड पे-8700/- के लिए निर्धारित तालिका-13 में संशोधन के फलस्वरूप वेतन में कमी होने की दशा में पेंशन के अधिक भुगतान की धनराशि की वसूली नहीं की जाएगी। उक्त आदेश ऐसे कार्मिकों के सम्बन्ध में प्रभावी है, जो दिनांक 01.01.2016 से दिनांक 31.07.2017 की अवधि में सेवानिवृत्त हुए हैं।

2- वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 28.09.2017 के प्रस्तर-12 एवं 13 निम्नवत् हैं:-

"प्रस्तर-12- यदि केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) (संशोधन) नियम, 2017 (2.57 के फिटमेंट गुणांक के अनुसार) में उल्लिखित वेतन मैट्रिक्स पर आधारित लेवल-13 में, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) (संशोधन) नियम, 2016 के नियम-7 अथवा नियम-13, जैसा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

भी मामला हो, के अनुसार पुनः निर्धारित वेतन, पूर्व लेवल-13 में उक्त नियमों (2.57 के फिटमेंट गुणांक) के अनुसार पूर्व यथा-निर्धारित वेतन से कम होता है, तो पुनःनिर्धारित वेतन सभी प्रयोजनों से संबंधित कर्मचारी पर लागू वेतन होगा और 30.06.2017, वह माह जिसमें केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) (संशोधन) नियम, 2017 जारी किये गये हैं, तक की अवधि के दौरान ऐसे पुनःनिर्धारण के कारण अधिक भुगतान की वसूली छोड़ दी जाएगी।

प्रस्तर-13 ऐसे कर्मचारियों के मामलों पर, जो 01.01.2016 को अथवा इसके बाद और 30.06.2017 तक सेवानिवृत्त हुए हैं और यदि वे उपर्युक्त पैरा 12 के तहत शामिल होते हैं, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 70 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।"

उक्त प्रस्तर-13 में उल्लिखित केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का नियम 70 निम्नवत् है :-

"70. Revision of pension after authorization

(1) Subject to the provisions of Rules 8 and 9 pension once authorized after final assessment shall not be revised to the disadvantage of the Government servant, unless such revision becomes necessary on account of detection of a clerical error subsequently.

Provided that no revision of pension to the disadvantage of the pensioner shall be ordered by the Head of office without the concurrence of the Department of Personnel and Administrative Reforms if the clerical error is detected after a period of two years from the date of authorization of pension.

^[(1-A) The question whether the revision has become necessary on account of a clerical error or not shall be decided by the administrative Ministry or Department.]

(2) For the purpose of sub-rule(1), the retired Government servant concerned shall be served with a notice by the Head of Office requiring him to refund the excess payment of pension within a period of two months from the date of receipt of notice by him.

(3) In case the Government servant fails to comply with the notice, the Head of Office shall, by order in writing, direct that such excess payment, shall be adjusted in instalments by short payments of pensions in future, in one or more instalments, as the Head of Office may direct.

^Inserted vide GSR 628(E), dated 1st September, 2014 Government of India, Department of Pension & Pensioners' Welfare Notification No. 1/19/2013-P&PW(E), Dated 29th August, 2014."

4- केन्द्र सरकार की उपरोक्त व्यवस्था के दृष्टिगत मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि ऐसे कार्मिक जो दिनांक 01जनवरी, 2016 से 31 जुलाई, 2017 के मध्य सेवानिवृत्त हुए हैं तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

सेवानिवृत्ति के समय जिनका अंतिम वेतन वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/वे0आ0-2-563/दस-2017-04(एम)/2017, दिनांक 27.07.2017 द्वारा किये गये संशोधन के पूर्व ग्रेड वेतन रू0 8700/- के लिये दिनांक 01.01.2016 से लागू तालिका-13 के अनुसार निर्धारित वेतन पर आधारित था, की पेंशन उसी अन्तिम वेतन के आधार पर स्वीकृत होगी, जो सम्बन्धित कार्मिक सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त कर रहा था।

परन्तु यदि, पेंशन आगणन में कोई लिपिकीय त्रुटि हुयी हो तो उसे सुधार लिया जायेगा और इस दशा में, अधिक भुगतानित धनराशि का समायोजन पेंशनर को दो माह का नोटिस देते हुए, आगामी माहों की पेंशन से, एकमुश्त अथवा किश्तों में किये जाने के सम्बन्ध में पेंशनर का विकल्प लिखित रूप में प्राप्त कर लिया जायेगा एवं तदनुसार अधिक भुगतानित धनराशि का समायोजन किया जायेगा। यदि पेंशनर द्वारा दो माह के अन्दर अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, सम्बन्धित कोषागार द्वारा अधिक भुगतानित धनराशि की वसूली पेंशन के एक तिहाई भाग से अनधिक राशि की मासिक किश्तों में की जायेगी।

इन आदेशों अनुपालन अविलम्ब सुनिश्चित कराया जाए।

भवदीय,

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, पेंशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(नील रतन कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in